न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –24/2018

अनवान : –

1. रामचन्द्र पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

:–वादी

बनाम

1. नत्थूराम पुत्र ख्यालीराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. लिछमा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी करणपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. आईसीआईसीआई बैंक शाखा भादरा जरिए बैंक प्रबन्धक।

:–प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकिल वादी श्री संदीप गोदारा व वकिल प्रतिवादी श्री दीवान सिंह की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा करणपुरा बारानी के खाता सं0 121/110 में खसरा सं0 93 की 4.325 है0 खसरा सं0 591/180 की 2.225 है0 बारानी खातेदारी कृषि भूमि स्थित है में तन्हा प्रतिवादी सं0 1 के बजाय वादी 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 नत्थुराम 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 लिछमा ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी के नाम 2/3 हिस्सा व प्रतिवादी सं0 1 के नाम 1/3 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। शेष खसरों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के नाम यथावत् दर्ज रखी जावे। खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 20/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (राज0)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ